

कार्यालय शिला देवी अधिकारी, फरीदाबाद

आदेश क्रमांक जी-1/02/1389-92

दिनांक 20-03-2002

विषय : माध्यमिक स्तरीय त्यायो मान्यता।

Prince International School, Dabua Colony, Gajipur Road
N.I.T.FBD को (01-04-2002)

बद्दा छोटी से आठवीं तक इमिल विभाग तक की स्थायी मान्यता निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

- 1- संस्था शिला देवी अधिकारी से किसी भी पद की स्वीकृति तथा वित्तीय सहायता की मांग नहीं करेगी, तथा अपने ही हाँचे पर स्कूल पढ़ायेगी।
- 2- भाविष्य में निर्धारित नाम अनुसार विधालय से किसी भी सभी रोजगार कार्यालय के माध्यम से रुकी जायेगी।
- 3- विधालय में कार्यरत अध्यापकों के छः मास के वेतन के बराबर को राशि जिला शिला देवी अधिकारी फरीदाबाद के नाम प्लेज परासर्गे। यदि राशि प्लेजड न करायी तो मान्यता रद्द कर दी जायेगी।
- 4- वेतन का भुगतान घैक हारा किया जायेगा।
- 5- सभी अध्यापकों का सी पी एफ की राशि त्यानीय घैक में जमा करायी जाये।
- 6- संस्था की धारा 214-219 के अन्तर्गत सभी राशि एकेश्वर बोर्ड को शर्तों को पूरा करना होगा।
- 7- सांडल्यू यू. एफ. रेड्क्रास तथा स्पॉटस फन्ड की राशि का शेयर विभाग के अनुसार के नियमानुसार हर वर्ष अलग से पहले जिला शिला देवी अधिकारी के कार्यालय में जमा करा दी जाये।
- 8- शिला देवी अधिकारी कोई भी अधिकारी विधालय के रिकार्ड एवं बैंकोंणिक कार्य को किसी भी समय घैक कर सकता है।
- 9- राशि एकेश्वर कोड की धारा 159 के अन्तर्गत भावन इत्यादि नाम अनुसार पूर्ण करना होगा।

(HARBANS LAL)
जिला शिला देवी अधिकारी
फरीदाबाद।

पृष्ठ क्रमांक सम

दिनांक

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ सबं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. निर्देशक टैक्नेजरी शिला देवी अधिकारी चण्डीगढ़।
2. उपर्युक्त शिला देवी अधिकारी, पलवल/ फरीदाबाद।
3. संबोधित विधालय
4. बोर्ड आंफ स्कूल एकेश्वर देवी अधिकारी, फरीदाबाद।

Harbans Lal
जिला शिला देवी अधिकारी, 03-03-2002
फरीदाबाद।